(ख) क्या विभागीय पदोन्नति की सुविधायें केवल नान-मैट्रिक व्यक्तियों को ही दी गई हैं; मैट्रिक व्यक्तियों को नहीं;

(ग) क्या यह प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि उन विभागीय मैट्रिकुलेटों को पदोन्नति न दी जाये जिन्होंने सैनीटरी इन्सपेक्टर का कोर्स पास कर लिया है, बल्कि उनके स्थान पर बाहर के उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार अनुचित पदोन्नतियां देने के क्या कारण हैं जब कि मैट्रिकुलेट और प्रशिक्षित व्यक्ति विभाग में उपलब्ध हैं?

T [SANITARY INSPECTORS IN N.D.M.C.

778. SHRI D. THENGARI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the New Delhi Municipal Committee have passed a resolution on 1st July, 1966 that only those persons who are non-matriculates and who have passed the Sanitary Inspector's Course should be promoted to the post of Sanitary Inspector;

(b) whether facilities of departmental promotion have been given only to those persons who are non-matriculates and not to those who are matriculates;

(c) whether a resolution has also been passed to the effect that departmental matriculates, who have passed Sanitary Inspector's course, should not be promoted but instead outside candidates should be appointed; and

(d) if so. what are the reasons for giving such improper promotions, when matriculates and trained persons are available in the department?]

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

t[THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. SUSHILA NAYAR) : (a) to (c) No, Sir.

(d) Does not arise.]

रुपये का प्रचलन

779. श्री रामकुमार भुवालका : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जुलाई, 1966 तक रुपये की कितनी मुद्रा का प्रचलन था ?

f [RUPEE IN CIRCULATION

779. SHRI R. K. BHUWALKA: Will the Minister of FINANCE bo pleased to state the amount of rupee currency in circulation as on 31st July, 1966 ?]

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : सम्भवतः यह प्रश्न चालू नोटों के बारे में है। यदि ऐसा है, तो एक रुपये के नोटों सहित उन नोटों की कुल रकम, जो 31 जुलाई, 1966 को चलन में थे, 29,82,94,57,177 रुपया थी।

t[THE MINISTER OF FINANCE (SHRI SACHINDRA CHAUDHURI): Presumably the reference is to the notes in circulation. If so, the total amount of notes including Re. 1 notes in circulation as on 31st July, 1966 was Rs. 29.82.94,57,177.1

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियां

780. श्री रघुनाथ प्रसाद खेतान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियों तथा आन्तरिक प्रशासन के बारे में एक निश्चित योजना निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

t[ ] English translation.

(ग) इस योजना के विषय में इन उप-क्रमों की क्या प्रतिक्रिया है?

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

t[APPOINTMENT IN PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

780. SHRI R. P. KHAITAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a specific scheme regarding appointments and internal administration in the Public Sector Undertakings;

(b) if so, what are the details of that scheme; and

(c) what is the reaction of these undertakings towards that scheme ?]

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकारी प्रतिष्ठानों के उच्च श्रेणी के कार्यकारी और वित्तीय पद उनका वेतन चाहे जितना हो—सामान्यत: सरकार द्वारा भरे जाने के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। इन पदों पर नियुक्तियां करने की समस्या पर पिछले वर्ष पुनर्विचार किया गया था और इस सम्बन्ध में किये गये निश्चयों का सारांश 3 नवम्बर 1965 को सभा की मेज पर रख दिया गया था। दूसरे पदों के बारे में, 2,250 रुपया या इससे अधिक मासिक वेतन वाले पदों पर या कुछ मामलों में, जैसे हिन्दुस्तान स्टील के मामले में, 2,500 रुपया या इससे अधिक मासिक वेतन वाले पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के लिए आमतौर पर सरकार की मंजूरी ली जाती है। अन्य सभी पदों पर नियुक्तियां करने के लिए इन प्रतिष्ठानों को पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

सरकारी प्रतिष्ठानों में नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में या उनके आन्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध में, उन निश्चयों के अलावा, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, और कोई विशिष्ट योजना नहीं बनायी गयी है।

t[THE MINISTER OF FINANCE (SHRI SACHINDRA CHAUDHURI) :
(a) Top executive and financial posts in Public Enterprises, irrespective of salary, are normally reserved for appointment by Government. The problem of manning such posts was reviewed last year and a summary of the decisions taken was placed on the Table of the House on the 3rd November, 1965. In regard to other posts, Government's approval is normally required to appointments to posts carrying pay of and above Rs. 2,250 p.m. or in some cases as that of Hindustan Steel, of and above Rs. 2,500 p.m. For all other posts, the Enterprises have full powers to make appointments.

No specific, scheme apart from the decisions referred to, in regard to appointments, or in regard to internal administration of the Public Enterprises has been formulated.

(b) and (c) Do not arise.]

राष्ट्रीय फ़ाईलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम

781. **श्री महावीर दास** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 3 अगस्त, 1966 की राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 227 के भाग (ख) के दिए गए उत्तर को देखेंगी और यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राष्ट्रीय फ़ाईलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के अधीन किए गए सर्वेक्षण का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या फ़ाईलेरिया को फैलने से रोकने तथा उसके मूल कारण को दूर करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

t[ ] English translation.